



प्रेस नोट जनपद गाजियाबाद दिनांक 21.09.2021

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा 11 अभियुक्तों को ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए नकद 5070 ₹ व 52 ताश के पत्ते सहित गिरफ्तार किया गया

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा 11 अभियुक्तों को ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए नकद 5070 ₹ दो अधजली मोमबत्ती एक माचिस 52 ताश के पत्ते सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 21/09/2021 को समय करीब 04.15 बजे मुखबिर की सूचना पर चौकी सिकन्दरपुर क्षेत्र में ईदगाह कब्रिस्तान पसौन्डा से 11 अभियुक्तों (1) मिजान S/o अब्दुल हुसैन R/o गली नं० 2 पप्पू कालोनी ps साहिबाबाद गा०बाद (2) शहजाद हुसैन S/o इरशाद R/o गली नं० 1 म०न० A/150 पप्पू कालोनी P/s सा०बाद – गा०बाद (3) आजाद S/o इरशाद R/o गली नं० 1 म०न० A/150 P/s सा०बाद- गा०बाद (4) दीपक S/o चन्द्रपाल R/o F/972 पप्पू कालोनी P/s सा०बाद –गा०बाद (5) गौरव S/o महावीर R/o J-220 पुरानी सीमापुरी P/s सीमा पुरी दिल्ली (6) मुन्तयाज S/o सूफे खां R/o F41 इस्तकार के आफिस के पीछे गरिमा गार्डन P/s टीला मोड़ –गा०बाद (7) देवेन्द्र S/o स्व० बलवीर R/o A118 शालीमार गार्डन P/s सा०बाद- गा०बाद (8) शाहरूख S/o वकील R/o ईदगाह रोड अली प्रेम गार्डन Ps टीला मोड़ – गा०बाद (9) सनवर S/o मुन्ना R/o कासमी मस्जिद अली प्रेम गार्डन P/s टीला मोड़ गा०बाद (10) शमशाद S/o समसूदीन R/o निकट SM स्कूल इकबाल कालोनी Ps टीला मोड़ गा०बाद (11) रोहित S/o स्व० ईश्वर पाल R/o निकट भूमिया मन्दिर पसौडा Ps टीला मोड़- गा०बाद द्वारा ताश पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए नकद 5070 ₹ दो अधजली मोमबत्ती एक माचिस 52 ताश के पत्ते सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 501/21 धारा 13 जुआ अधि० बनाम यासीन कुरेशी उपरोक्त आदि पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- (1) मिजान S/o अब्दुल हुसैन R/o गली नं० 2 पप्पू कालोनी ps साहिबाबाद गा०बाद
- (2) शहजाद हुसैन S/o इरशाद R/o गली नं० 1 म०न० A/150 पप्पू कालोनी P/s सा०बाद – गा०बाद
- (3) आजाद S/o इरशाद R/o गली नं० 1 म०न० A/150 P/s सा०बाद- गा०बाद
- (4) दीपक S/o चन्द्रपाल R/o F/972 पप्पू कालोनी P/s सा०बाद –गा०बाद
- (5) गौरव S/o महावीर R/o J-220 पुरानी सीमापुरी P/s सीमा पुरी दिल्ली
- (6) मुन्तयाज S/o सूफे खां R/o F41 इस्तकार के आफिस के पीछे गरिमा गार्डन P/s टीला मोड़ –गा०बाद
- (7) देवेन्द्र S/o स्व० बलवीर R/o A118 शालीमार गार्डन P/s सा०बाद- गा०बाद
- (8) शाहरूख S/o वकील R/o ईदगाह रोड अली प्रेम गार्डन Ps टीला मोड़ – गा०बाद
- (9) सनवर S/o मुन्ना R/o कासमी मस्जिद अली प्रेम गार्डन P/s टीला मोड़ गा०बाद
- (10) शमशाद S/o समसूदीन R/o निकट SM स्कूल इकबाल कालोनी Ps टीला मोड़ गा०बाद
- (11) रोहित S/o स्व० ईश्वर पाल R/o निकट भूमिया मन्दिर पसौडा Ps टीला मोड़- गा०बाद

अभियुक्तों से बरामदगी –

- (1) 5070 रूपये नकद
- (2) 52 ताशपत्ते
- (3) 02 अधजली मौमबत्ती व माचिस आदि

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

मु0अ0सं0 501/21 धारा 13 जुआ अधि0 थाना टीला मोड गा0बाद

थाना कविनगर पुलिस द्वारा मोबाईल चोरी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा चोरी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा थाना कविनगर के मु0अ0सं0 1577/21 धारा 379 भादवि के अभियोग में वाछिंत अभियुक्त मुकेश पुत्र बृजपाल निवासी ग्राम पिथनापुर थाना राजेपुर जिला फरूखाबाद हाल निवासी मकान अक्कू बम्हेटा जग्गे के प्लाट के पास थाना कविनगर गा0बाद को दिनांक 20.09.2021 को बम्हेटा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा अपने साथी अब्दुल के साथ मिलकर बम्हेटा पुल के पास खडे ट्रक मे से मोबाईल चोरी किया जिसके सम्बन्ध मे वादी मुकदमा श्री मौ0 सब्बान पुत्र मौ0 रूस्तम निवासी खड़गपुर थाना सोनबरसा कचहरी जिला सहरसा बिहार हाल पता 662/21 मंडावली रेलवे कालौनी गली न0 2 थाना मडावली दिल्ली -92 द्वारा थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 1577/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया थाना कविनगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त मुकेश उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त के साथी अब्दुल की तलाश की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

मुकेश पुत्र बृजपाल निवासी ग्राम पिथनापुर थाना राजेपुर जिला फरूखाबाद हाल निवासी मकान अक्कू बम्हेटा जग्गे के प्लाट के पास थाना कविनगर गा0बाद उम्र करीब 19 वर्षी

नाम पता फरार अभियुक्त –

अब्दुल निवासी शाहपुर बम्हेटा थाना कविनगर गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुकेश-

1-मु0अ0सं0 1577/21 धारा 379 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।

अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

थाना लोनी पुलिस द्वारा ई रिक्शा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए घटना को अंजाम देने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार जिनके कब्जे से 01 ई रिक्शा बरामद

दिनांक 19.09.2021 को श्रीमती आयशा पत्नी सफीक निवासी अल्वी नगर निकट कुआ मस्जिद थाना लोनी गाजियाबाद ने थाना हाजा पर आकर सूचना दी कि दिनांक 16.09.2021 को अज्ञात चोर द्वारा वादिया का ई रिक्शा रजि नं0 DL 5 ERA 1436 चैसिस नं0 MD9GRDDE4GE245189 चोरी कर ली है इस सूचना पर थाना लोनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मु0अ0सं0 1339/21 धारा 379 भादवि वादिया आयशा उपरोक्त की तहरीर के आधार पर पंजीकृत किया गया । जिसके सम्बन्ध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी लोनी गा0बाद के निर्देशन में टीम गठित की गयी । जिनके द्वारा घटना का अनावरण करते हुए मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. फिरोज पुत्र मुकीम नि0 चुचैला थाना धनौरा जिला अमरोहा व 2.जिसान पुत्र नजाकत अली नि0 नोर्थ घोण्डा बिच पटिया मौहल्ला गली नं0 2 थाना भजनपुरा दिल्ली को पुस्ता तिराहे पर मंदिर के सामने खजूरी की तरफ से दिनांक 20.09.2021 को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से चोरी का ई रिक्शा रजि नं0 DL 5 ERA 1436 चैसिस नं0 MD9GRDDE4GE245189 बरामद हुआ । पूछताछ कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास -

फिरोज पुत्र मुकीम नि0 चुचैला थाना धनौरा जिला अमरोहा
मु0अ0सं0 1339/21 धारा 379/411 भादवि थाना लोनी गा0बाद

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास -

जिसान पुत्र नजाकत अली नि0 नोर्थ घोण्डा बिच पटिया मौहल्ला गली नं0 2 थाना भजनपुरा दिल्ली
मु0अ0सं0 1339/21 धारा 379/411 भादवि थाना लोनी गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 अरुण कुमार थाना लोनी गा0बाद
2. है0का0 653 नबावअली
- 3.का0 1379 उम्मेद सिंह



थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वाले 02 अभियुक्त 20 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने वाले 02 अभियुक्त गण 1.सतीश पुत्र ननुआ नि0-

ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद 2. राहुल पुत्र हातम नि0 वमवावड, थाना वादलपुर दादरी व हाल पता ग्राम चिरौडी लोनी गा0वाद को 10 -10 लीटर (कुल 20 लीटर) कच्ची शराब के साथ छिद्दा का भड्डा गनौली चौकी क्षेत्र चिरौडी से दिनांक 20.09.2021 समय 18.40 बजे को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

सतीश पुत्र ननुआ नि0- ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0-1343/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना लोनी गा0बाद

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

राहुल पुत्र हातम नि0- वमवावड थाना वादलपुर दादरी व हाल पता ग्राम चिरौडी लोनी, गा0वाद

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0-1344/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना लोनी गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 बलराम सेंगर मय चौकी प्रभारी चिरौडी थाना लोनी गा0बाद
2. उ0नि0 यूटी तपेश कुमार
3. है0का0 1336 कृष्ण कुमार

बरामदगी का विवरण:-

10 -10 लीटर (कुल 20 लीटर) कच्ची शराब



**थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा एक वाहन व बैट्री चोर गिरफ्तार
जिसके कब्जे से एक अदद मो0सा0 व दो बैट्री के गिरफ्तार**

दिनांक: 21-09-2021

कार्यवाही:-जनपद गाजियाबाद व आस पास के जनपदो के अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री पवन कुमार के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकेट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व मे प्र0नि0 श्री नागेन्द्र चौबे की टीम द्वारा दिनांक 21-09-2021 को गस्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर समय करीब 07.35 बजे मोहन नगर स्टेशन के पास से अभियुक्त राज मौहम्मद पुत्र रियाजुद्दीन नि0 म0न0 316 सी- ब्लाक, राजीव कालोनी साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अदद मो0सा0 चोरी चैसिस न0 MBLHA10EZBHE40052, इंजन न0 HA10EFBHE35394 जिसके सम्बन्ध मे थाना गाजीपुर दिल्ली पर मु0अ0सं0 14454/21 धारा 379 भादवि एवं दो बैट्री जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 1947/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत है, बरामद किया गया ।



अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछताछ मे बताया कि वह सडक व रास्तो पर चोरी करता है तथा सडक व रास्ते मे खडे वाहनो व उनकी बैट्री को चोरी करके चोरी के वाहन व बैट्री को चलते फिरते लोगो को कम दामो मे बेच देता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

राज मौहम्मद पुत्र रियाजुद्दीन नि0 म0न0 316 सी- ब्लाक, राजीव कालोनी साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-

1-मु0अ0सं0 1947/21 धारा 379 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।

2-मु0अ0सं0 1950/21 धारा 414/411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।

2-मु0अ0सं0 14454/21 धारा 379 भादवि थाना गाजीपुर दिल्ली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह
- 2- है0का0 1240 ओमप्रकाश सिंह
- 3- है0का0 1687 पुष्पेन्द्र कुमार

बरामदगी का विवरण:-

- 1- एक अदद मोचोरी चैसिस न0 0सा0 MBLHA10EZBHE40052, इंजन न0 HA10EFBHE35394 जिसके सम्बन्ध मे थाना गाजीपुर दिल्ली पर मु भादवि 379 धारा 14454/21 0अ0सं0पंजीकृत है।
- 2- दो बैट्री जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मुभादवि पंजीकृत है 379 धारा 1947/21 0अ0सं0

0 -प्रेसनोट-2

थाना साहिबाबादजनपद गाजियाबाद ,

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा एक चोर को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक
अदद मो0सा0 (चोरीशुदा) एवं 01 चाकू बरामद

दिनांक: 20.09.2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस पास के जनपदों के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री पवन कुमार के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकेट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्र0नि0 श्री नागेन्द्र चौबे की टीम द्वारा दिनांक 20-09-2021 को मुखबिर की सूचना पर तालिब पुत्र मुस्तकीम नि0 अली प्रेम गार्डन पसोण्डा टीलामोड गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष को दिनांक 20.9.21 समय करीब 23.20 बजे एयर फोर्स मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से एक अदद मो0सा0 UP14 CQ 8167 (जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 208/2018 धारा 379 भादवि पंजीकृत होना) एवं 01 अदद चाकू बरामद होना ।



अपराध कारित करने का तरीका:-

अभि0 से बरामद चाकू के संबंध में लाइसेंस तलब किया तो नहीं दिखा सका जिसके संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1- तालिब पुत्र मुस्तकीम नि0 अली प्रेम गार्डन पसोण्डा टीलामोड गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष

आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 भादवि 379 धारा 208/2018 थाना साहिबाबाद
- 2- मु0अ0सं0 1949/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना साहिबाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री नागेन्द्र अत्री
- 2- का0 917 मुनेन्द्र कुमार
- 3- का0 1269 मनीष कुमार

बरामदगी का विवरण:-

- 1- एक अदद मो0सा0 स्पलेण्डर UP 14 CQ 8167 (सम्बन्धित मुभादवि 379 धारा 208/2018 0अ0सं0 थाना साहिबाबाद)
- 2- 01 अदद चाकू नाजायज